

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर:- 91/2021

(जी सी एम एस नम्बर 2021/145)

उनवान प्रकरण :-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्यामलाल पुत्र तुरसी जाति ब्राह्मण निवासी बीछिया तहसील धौलपुर
- 2-अंगूरीदेवी पत्नि भूरीसिंह जाति ब्राह्मण निवासी विरजापुरा तहसील धौलपुर
- 3-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जी टी रोड धौलपुर

.....अप्रार्थीगण



(जी सी एम एस नम्बर 2021/145)
प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषकगण :-

- प्रार्थी की ओर से - श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभि०
अप्रार्थी सं०1 व 2 की ओर से - श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट
अप्रार्थी सं०3 की ओर से - श्री रविन्द्र प्रसाद मोदी

निर्णय

दिनांक 05.04.2022

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि खसरा गिरदावरी चौसाला सम्बत 2031-2034 में खसरा नम्बर 291 पर रकवा 12 बीधा 08 विस्वा पर श्यामलाल पुत्र तुरसी जाति ब्राह्मण निवासी बीछिया दर्ज है जिसका हाल खसरा नम्बर 1009/291 रकवा 12 बीधा 08 विस्वा है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक भू.अ./07/2499 दिनांक 3.8.2007 के द्वारा गैरखातेदार श्यामलाल को खसरा नम्बर 1009/291 रकवा 12 बीधा 08 विस्वा बांके ग्राम बीछिया पर गैरखातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जिसका अमल जरिये नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 16.8.2007 से राजस्व रिकार्ड में किया गया।

निर्णय

दिनांक 05.04.2022

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(2)

न्या0.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुक: सरकार बनाम श्यामलाल वगैरा
रैफरेन्स संख्या 91/2021

खातेदार श्यामलाल द्वारा आराजी का विक्रय जरिये वयनामा दिनांक 08.03.2010 द्वारा अंगूरीदेवी पत्नि भूरीसिंह जाति ब्राह्मण निवासी विरजापुरा को कर दिया गया जिसका अमल जरिये नामान्तकरण संख्या 1032 दिनांक 20.3.2010 से राजस्व रिकार्ड में किया गया। खातेदार अंगूरीदेवी द्वारा आराजी पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जी टी रोड धौलपुर से जरिये नामान्तकरण संख्या 1164 दिनांक 14.3.2015 ऋण लिया गया है जिसके कारण बैंक को प्रकरण में पक्षकारा बनाया गया है। राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10. (56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 17.10.2012 से राजस्व ग्राम बीछिया को नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। अधिसूचना का अनुमोदन नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10. (56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 16.04.2013 के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 9(15)राज-6/2005 पार्ट/13 दिनांक 13.5.2015 के द्वारा नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र की एवं परिधीय क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि पर खातेदारी दिए जाने की शक्तियां राज्य सरकार एवं संभागीय आयुक्त महोदय से हटाकर आवंटी द्वारा कमश प्रचलित बाजार दर का 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत राशि जमा कराते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी देने की शक्तियां जिला कलक्टर महोदय को प्रदत्त की गई है। ग्राम बीछिया नगर परिषद धौलपुर की परिधीय क्षेत्र में और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रचलित बाजार दर की 20 प्रतिशत राशि राज्य कोष में जमा कराने के उपरान्त ही नियमानुसार खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है किन्तु अप्रार्थी की ओर से न तो कोई राशि जमा कराई गई और न ही गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण के निर्णय के समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया। इस प्रकार नगर परिषद धौलपुर के परिधीय क्षेत्र में दी गई खातेदारी विधिक प्रावधानों के विपरीत है। उपरोक्त प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपने अधिकारों से परे जाते हुए सम्भागीय आयुक्त महोदय एवं राज्य सरकार की अधिकारातीत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक प्रावधानों के विपरीत खातेदारी दी गई। जबकि प्रकरण में गैरखातेदार द्वारा भूमि की राशि की 20 प्रतिशत राशि 209806/-रु जमा नहीं कराई गई है और ना ही प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है जिसके कारण गैरखातेदारी से खातेदारी दिये जाने हेतु निर्णित नामान्तकरण विधि के बिरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 16.8.2007 को निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण को रैफरेन्स करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर दिनांक 7.12.2017, जमाबन्दी सम्बत 2071-74, नकल नक्शा लठठा 7.12.17, नकल खसरा सम्बत 2071-74, खातेदारी आदेश प्रतिलिपि, नकल नामान्तकरण संख्या- 933, नकल नामान्तकरण संख्या- 1032, नकल

जिला कलक्टर
धौलपुर

विधिक
भूमि
ना ही
कारण
होने

(आरो के जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(3)

न्या०.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुक: सरकार बनाम श्यामलाल वगैरा
रैफरेन्स संख्या 91/2021

नामान्तकरण संख्या 1164, अधिसूचना 21.6.07, अधिसूचना 13.5.15, अधिसूचना 17.10.2012, अधिसूचना 16.4.2013 पेश की है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या-1 व 2 की ओर से श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट एवं अप्रार्थी संख्या-3 की ओर से श्री रविन्द्र प्रसाद मोदी एडवोकेट ने बकालतनामा पेश कर उक्त अप्रार्थीगण की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये जबाव में कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी की खातेदारी श्यामलाल को दिनांक 3.8.2007 को प्रदान की गई जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में दिनांक 16.8.2007 को किया गया उस समय ग्राम बीछिया ना तो नगर परिषद की सीमा में था ना ही नगर परिषद की परधीय क्षेत्र में था बीछिया ग्रामिण क्षेत्र था जिसे 17.10.2012 को संशोधन दिनांक 16.4.2013 में नगर परिषद धौलपुर का परधीय ग्राम घोषित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 21.6.2007 एवं 13.05.2015 के प्रावधान इस आराजी पर लागू नहीं होते है। जिस समय खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये उस समय ग्राम बीछिया परधीय ग्राम नहीं था तो 20 प्रतिशत राशि जमा कराने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण बिधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 16.8.2007 खारिज नहीं किया जा सकता। प्रकरण बिधि बिरुद्ध होने के कारण काबिल खारिजी है। अप्रार्थी संख्या-3 ने अपने जबाव में कथन किया है कि जिस समय खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये उस समय ग्राम बीछिया नगर पालिका परधीय में नहीं था। तहसीलदार धौलपुर जो कि इस प्रकरण में आवेदक है के द्वारा क्षेत्रीया प्रमाणपत्र एवं अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया था जिसके आधार पर ही बैंक ने अपने ऋणी को नियमानुसार खातेदारी के आधार पर ऋण दिया तथा उक्त ऋण का रहनामा का नामान्तकरण स्वयं आवेदक तहसीलदार धौलपुर ने बैंक के हक में तस्दीक किया था। वर्तमान में बैंक का राशि 2,95,148 बकाया है। उक्त प्रकरण में रैफरेन्स की कार्यवाही की जावे तो उत्तरदाता के हितों को ध्यान में रखकर की जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10. (56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 17.10.2012 से राजस्व ग्राम बीछिया को नगर पालिका धौलपुर की परधीय राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। अधिसूचना का अनुमोदन नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10. (56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 16.04.2013 के द्वारा किया गया है। नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र की एवं परधीय क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि

(आरो के जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(4)

न्या० जिला कलक्टर धौलपुर
वमुक: सरकार बनाम श्यामलाल वगैरा
रैफरेन्स संख्या 91/2021

पर खातेदारी दिए जाने की शक्तियां राज्य सरकार एवं संभागीय आयुक्त महोदय से हटाकर आवंटी द्वारा कमश प्रचलित बाजार दर का 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत राशि जमा कराते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी देने की शक्तियां जिला कलक्टर महोदय को प्रदत्त की गई है। ग्राम बीछिया नगर परिषद धौलपुर की परिधीय क्षेत्र में और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रचलित बाजार दर की 20 प्रतिशत राशि राज्य कोष में जमा कराने के उपरान्त ही नियमानुसार खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है किन्तु अप्रार्थी की ओर से न तो कोई राशि जमा कराई गई और न ही गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण के निर्णय के समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया। इस प्रकार नगर परिषद धौलपुर के परिधीय क्षेत्र में दी गई खातेदारी विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्रों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी की खातेदारी श्यामलाल को दिनांक 3.8.2007 को प्रदान की गई जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में दिनांक 16.8.2007 को किया गया उस समय ग्राम बीछिया ना तो नगर परिषद की सीमा में था ना ही नगर परिषद की परधीय क्षेत्र में था बीछिया ग्रामिण क्षेत्र था जिसे 17.10.2012 को संशोधन दिनांक 16.4.2013 में नगर परिषद धौलपुर का परधीय ग्राम घोषित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 21.6.2007 एवं 13.05.2015 के प्रावधान इस आराजी पर लागू नहीं होते हैं। जिस समय खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये उस समय ग्राम बीछिया परधीय ग्राम नहीं था तो 20 प्रतिशत राशि जमा कराने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण बिधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 16.8.2007 खारिज नहीं किया जा सकता। प्रकरण बिधि बिरुद्ध होने के कारण काबिल खारिजी है। अप्रार्थी संख्या-3 के अभिभाषक का कथन है कि बैंक ने अपने ऋणी को नियमानुसार खातेदारी के आधार पर ऋण दिया तथा उक्त ऋण का रहनामा का नामान्तकरण स्वयं आवेदक तहसीलदार धौलपुर ने बैंक के हक में तस्दीक किया था। वर्तमान में बैंक की राशि 2,95,148/- रु बकाया है। उक्त प्रकरण में रैफरेन्स की कार्यवाही की जावे तो उत्तरदाता के हितों को ध्यान में रखकर की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या-2 में अप्रार्थीगण को विवादित आराजी ग्राम बीछिया के नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 16.8.2007 से गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किया जाना अंकित किया है। प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या-5 में राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10.(56)नवि/3/2011 जयपुर

(आरो की जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(5)

न्या0.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुक: सरकार बनाम श्यामलाल वगैरा
रैफरेन्स संख्या 91/2021

दिनांक 17.10.2012 से राजस्व ग्राम बीछिया को नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण को दिनांक 16.8.2007 को गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई और ग्राम वीछिया नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम दिनांक 17.10.2012 को घोषित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वरवक्त खातेदारी प्रदान करते समय ग्राम बीछिया नगर पालिका धौलपुर की परिधीय क्षेत्र की सीमा में नहीं था। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रस्तुत तथ्यों से पुष्टि नहीं होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)

(जिला कलक्टर धौलपुर)
जिला कलक्टर, धौलपुर

